UPPG010013142026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी– अंकिता दुबे ,एच 0 जे0 एस 0– UP–1713
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 472/2026

जीतलाल हरिजन उम्र लगभग 46 वर्ष पुत्र रामदीन हरिजन निवासी प्रीतम सराय, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ ।

..आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...अभियोगी

मु0 अ 0 सं0–85/2005
धारा– 363, 366 भा.दं.सं.
थाना–कन्धई, जनपद– प्रतापगढ़

।

दिनांक 06.03.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **जीतलाल हरिजन** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–85/2005, धारा–363, 366 भा.दं.सं. थाना–कन्धई, जिला–प्रतापगढ़ के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

2. **संक्षेप में अभियोजन** कथानक के अनुसार वादी मुकदमा विजय शंकर पाण्डेय सुत देवनाथ पाण्डेय निवासी ग्राम प्रीतम सराय, थाना कन्धई, प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। मेरी लड़की कु0 सीमा जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, घर पर रहती थी। दिनांक 01.05.2005 को मैं व मेरी पत्नी तथा बच्चे सो रहे थे, करीब 3 बजे रात जब उठे तो मेरी पुत्री चारपाई पर नहीं थी। मेरी पत्नी सावित्री देवी आस पास पता किया तो गांव के नन्हे यादव सुत रामचरन यादव व राजकुमार पाण्डेय सुत देवनाथ पाण्डेय व दयाशंकर पाण्डेय सुत देवनाथ पाण्डेय ने बताया कि आपकी लड़की को गांव के ही जीतलाल हरिजन सुत रामदीन हरिजन व शिव जी चौबे सुत भगवती प्रसाद चौबे ने बहला फुसला कर साथ लेकर जा रहे थे। हमको भी पूरा विश्वास है कि मेरी लड़की को यही लोग गलत इरादे से भगा ले गये हैं। अन्त में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की याचना की गयी है।

3. **अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र** में यह आधार लिया गया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थी /अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है और रंजिशन असत्य कथनों के आधार पर झूठा फसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियोजन कथन बिल्कुल ही गलत अस्वाभाविक व अतार्किक है। घटना का कोई त्वरित कारण नही है। प्रार्थी /अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी अपराध आयत नही होता है, क्योंकि पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य नही है, जिससे प्रार्थी के विरूद्ध अ०धारा 363 एवं 366 आई०पी०सी० का अपराध आयत होता है।

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.03.04 15:00:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी विचारण में पूर्णरूपेण सहयोग करेगा और प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। प्रार्थी/ अभियुक्त कभी का सजायाप्ता नही है और न हो उसका कोई आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है इस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष न ही प्रस्तुत किया गया है और न ही लम्बित है न ही विचाराधीन है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यह कथन किया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। फर्जी तरीके उसे अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त कभी का सजायाप्ता नही है और न हो उसका कोई आपराधिक इतिहास है और जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है।

5. **जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की लड़की को बहला फुसला कर साथ ले जाने का आरोप है। माननीय उच्च न्यायालय से वाद की कार्यवाही स्थगन आदेश पारित किया गया, किन्तु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 याचिका संख्या 2391/2016 दिनांक 05.08.2024 को निरस्त होने के उपरान्त स्वतः स्थगन आदेश समाप्त हो जाने के पश्चात अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है, जिस कारण विचारण /अग्रिम कार्यवाही में विलम्ब हुआ है। अभियुक्त जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। अभियुक्त द्वारा अपने कथन के समर्थन में वादी मुकदमा की पुत्री द्वारा प्रस्तुत कोई शपथ पत्र व अन्य प्रपत्र दाखिल नहीं किये गये हैं। मामला महिला के अपहरण से संबंधित है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित करेगा और साक्षियों को प्रभावित कर सकता है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. **प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी का अवलोकन किया** इससे स्पष्ट है कि आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके उपरान्त अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से वाद की कार्यवाही स्थगन आदेश पारित किया गया, किन्तु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 याचिका संख्या 2391/2016 दिनांक 05.08.2024 को निरस्त होने के उपरान्त स्वतः स्थगन आदेश समाप्त हो जाने के पश्चात अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है, जिस कारण विचारण /अग्रिम कार्यवाही में विलम्ब हुआ है। वह जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। अभियुक्त द्वारा अपने कथन के समर्थन में वादी मुकदमा की पुत्री द्वारा प्रस्तुत कोई शपथ पत्र व अन्य प्रपत्र दाखिल नहीं किये गये हैं। मामला महिला से अपहरण से संबंधित है। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जय प्रकाश सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार, ए.आई.आर. 2012 सुप्रीम कोर्ट 1676 में निम्न विधि प्रतिपादित की गयी है:–

"13. There is no substantial difference between Section 438 and 439 Cr.P.C. so far as appreciation of the case as to whether or not a bail is to be granted, is concerned. However, neither anticipatory bail nor regular bail can be granted as a matter of rule. The anticipatory bail being an extraordinary privilege should be granted only in exceptional cases. The judicial discreation conferred upon the court has to be properly exercised after proper application of mind to decide whether it is a fit case for grant of anticipatory bail.

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों व मामले की गम्भीरता को देखते हुये अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **जीतलाल हरिजन** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–85/2005,धारा–363, 366 भा.दं.सं. थाना–कन्धई, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत **अग्रिम** जमानत प्रार्थना पत्र **खारिज** किया जाता है।

दिनांक–06.03.2026

(**अंकिता दुबे**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/
प्रतापगढ़।